कार्यालय चुनाव अधिकारी
श्री गुरूद्वारा नानकमत्ता साहिब
नानकमत्ता जिला उधम सिंह नगर

नोटिस

दिनांक– 21-11-2016.

डेलीगेट के चुनाव के सम्बंध में प्राप्त किये जाने वाले दस्तावेजो का वर्णन व अन्य निर्देशः

1– डेलीगेट के चुनाव के सम्बंध में सम्बन्धित गुरूद्वारे या उसकी कमेटी द्वारा एक घोषणा पत्र साधारण हिन्दी या पंजाबी भाषा में एक सादे कागज मे इस आशय से दिया जायेगा कि गुरूद्वारे द्वारा निम्न व्यक्ति को अपना डेलीगेट चुना है। घोषणा पत्र मे चुने हुए डेलीगेट का नाम, पिता/पति का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से लिखे जायेंगे। जिस गुरूद्वारे से चुनाव हुआ है उस गुरूद्वारे का नाम उसका हल्का सूची मे क्रमांक नम्बर व पूर्ण पता भी अवश्य दिया जायेगा। घोषणा पत्र के साथ डेलीगेट की एक स्पष्ट व नवीन फोटो तथा उसके व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राईविंग लाईसेन्स की साफ व स्पष्ट फोटो कापी लगायी जायेगी। घोषणा पत्र मे कमेटी द्वारा यह भी उल्लेख किया जायेगा कि चुने हुये डेलीगेट द्वारा डेलीगेट बनने की समस्त शर्तो का पूर्ण रूप से पालन कर रहा है। यह घोषणा पत्र सम्बन्धित गुरूद्वारा कमेटी के अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी तथा दोनो व्यक्ति अपना पूरा नाम, पिता/पति का नाम व पूर्ण पता व सही मोबाईल नम्बर लिखेंगे। इस घोषणा पत्र पर सम्बंधित गुरूद्वारे के हैड ग्रन्थी/ग्रन्थी के हस्ताक्षर भी होंगे तथा उनका भी पूरा नाम, पिता/पति का नाम तथा पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर अंकित किया जायेगा

2– घोषणा पत्र के साथ चुने हुये डेलीगेट का नामांकन पत्र दाखिल किया जायेगा। यह नामांकन पत्र उसी प्रारूप पर होगा जो अधिसूचना दिनांकित 27.09.2016 के साथ दिया गया था। नामांकन पत्र पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए तथा उसके साथ डेलीगेट की स्पष्ट व नवीन फोटो तथा उसके व्यक्तिगत पहचान पत्र जैसे कि पैन कार्ड या आधार कार्ड या ड्राईविंग लाईसेन्स की साफ व स्पष्ट फोटो कापी लगायी

जायेगी। नामांकन पत्र पर दो प्रस्तावको के हस्ताक्षर व उनका पूरा नाम, पिता/पति का नाम व पूर्ण पता व सही मोबाईल नम्बर लिखा होना चाहिए।

3— डेलीगेट का नामांकन पत्र व अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए या तो सम्बंधित गुरूद्वारे के प्रधान या सचिव या दोनो स्वयं आयेंगे। यदि किसी व्यक्ति को नामांकन पत्र व अन्य दस्तावेज दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया हो तो उस गुरूद्वारे की कमेटी द्वारा अधिकृत किये गये व्यक्ति के हक मे अधिकारिता पत्र होना चाहिए।

4— नामांकन पत्र व अन्य दस्तावेज प्राप्त होने पर व उनके सही पाये जाने पर कार्यालय द्वारा हल्का अनुसार डेलीगेटो की सूची प्रत्येक दिन निम्न प्रारूप पर तैयार की जायेगी—

कमांक नं.	डेलीगेट का नाम	पिता/पति का नाम	पूर्ण पता व मोबाईल नम्बर (तहसील का नाम अवश्य लिखा जाये)	क्या डेलीगेट द्वारा समस्त शर्तो का पालन किया जा रहा है (नामांकन पत्र के अनुसार)	उस गुरूद्वारे का नाम व पूर्ण पता जिससे डेलीगेट का चुनाव हुआ है। (तहसील का नाम अवश्य लिखा जाये)

ह0/—

(कंवर अमनिन्दर सिंह)

चुनाव अधिकारी